न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 2024/74 दायर दिनांक : 31.05.2022

रणसिंह पुत्र अर्जुन राम जाति जाट निवासी बनड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू

–अपीलाण्ट–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

–रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.04.22 प्र.स. 02/22 तहसीलदार
तारानगर उनवान सरकार बनाम रणसिंह

उपस्थित–

1. श्री जगदीश प्रसाद कस्वाँ एड. अपीलाण्ट की ओर से।
2. राज पैरोकार रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय दिनांक: 15.07.2025

यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू से सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज की जाकर सुनवाई की गई। संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तारानगर द्वारा रोही ग्राम बनड़ा तहसील तारानगर के खसरा संख्या 210 तादादी 13.13 बीघा गै.मु. गोचर में से 2.02 बीघा भूमि पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर नोटिस दिया गया मगर साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया। अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर दिया। अपीलाण्ट अपने पूर्वजों के समय से विवादित भूखण्ड पर काबिज होकर रिहायश कर रहे हैं तथा निर्माण भी अपीलाण्ट के पूर्वजों के द्वारा किया गया था उक्त भूखण्ड पर वर्षों से विद्युत कनेक्शन है जिससे पानी की सप्लाई हो रही है। अपीलाण्ट के पास इस भूखण्ड के अलावा अन्य कोई रिहायशी भूखण्ड नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस भूमि पर अतिक्रमी बताया गया है वो भूमि कानून में प्रतिबन्धित भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट मात्र के आधार पर ही बिना मौका देखे अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रिकॉर्ड तलब किये जाने के उपरान्त बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलाण्ट्स अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तारानगर ने प्रकरण में साक्ष्य व सबूत पेश करने का कोई मौका नहीं दिया तथा अपीलाण्ट के पूर्वजों के समय से ही विवादित भूखण्ड पर कब्जा रहा है। उक्त विवादित भूखण्ड का अपीलाण्ट नियमन करवाने का अधिकारी हो चुका है। गै.मु. गोचर भूमि को

अर्पिता

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

नियमित किया जा सकता है जो कि नियमन के काबिल है। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने बहस के अन्त में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तारानगर द्वारा पारित आदेश खारिज किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राज पैरोकार ने दौराने बहस अपील मीमो में अंकित तथ्यों तथा बहस अपीलाण्ट विद्वान अधिवक्ता के तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने गै.मु. गौचर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक मनन किया गया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह हल्का पटवारी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.03.2022 जिसकी पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी की गई है, के आधार पर रोही ग्राम बनड़ा के खसरा संख्या 210 किस्म गै.मु. गोचर है जिसके समर्थन में जमाबन्दी की प्रति तथा नक्शा ट्रेस की प्रति भी पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को विधिवत् नोटिस अदालत मातहत द्वारा जारी किया गया है, जिसके क्रम में अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 24.03.2022 को जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि पर निवास कर रहा है। विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावे, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह कथन कि रेस्पोडेण्ट की ओर से उसे सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर व साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया गया, सारहीन हो जाता है। अपीलाण्ट ने जिस विवादित जगह पर अतिक्रमण कर रखा है वह गै. मु. गौचर भूमि है खातेदारी भूमि नहीं है तथा ना ही इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने कोई दस्तावेजात आदि प्रस्तुत किया है। वादगत भूमि की किस्म गै.मु. गौचर है जो कि गांव के पशुओं को चराने के उपयोग में लाई जाती है, का उपयोग उचित आदेशों के बिना नहीं किया जा सकता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तारानगर द्वारा वादगत भूमि खसरा संख्या 210 किस्म गै.मु. गौचर रोही ग्राम बनड़ा में से अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित किये जाने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तारानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2022 की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू